

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी

:- श्री डॉ. साधना शर्मा (RAS)

प्रा० पत्र संख्या

जीसीएमएस संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

22/2025

2025/420

03.11.2025

15.12.2025

उनवान

सन्तरा कंवर पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्द विहार  
कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़

अप्रार्थी

### प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

1. प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी व गौरव शर्मा शर्मा के द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 781/0.52 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा भैसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 781/0.52 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा भैसलाना तहसील पावटा के सम्पूर्ण हिस्से के प्रार्थीया मुताबिक जमाबन्दी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना-पत्र है।

2. प्रार्थीया की उक्त आराजी खसरा नम्बर 781/0.52 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा भैसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान से लगती अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि की डोल वगैरह तोड़ देते हैं, फसल नष्ट कर देते हैं तथा प्रार्थीया की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारु है। प्रार्थीया द्वारा समझाने पर नहीं मान रहे हैं, मरने-मारने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीया की उक्त आराजी खसरा नम्बर 781/0.52 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा भैसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है।

3. प्रार्थीया ने पूर्व में अपनी उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 17.10.2025 को करवाया जा चुका है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायलय में प्रार्थना-पत्र पेश करने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना -पत्र अन्दर मियाद निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। आराजी विवादास्पद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना-पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार है।

4. अतः प्रार्थना-पत्र गय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 781/0.52 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा भैसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओ का निश्चयीकरण विधि की व्यवस्था में निर्धारित प्रक्रिया से कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि अपनी भूमि का सही रूप से उपयोग कर सकें।



उपखण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

5. प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पैरोकार से जवाब लिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीया ने प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण को दिनांक 17.10.2025 के अनुसार हुए सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजीयात का दिनांक 17.10.2025 को सीमाज्ञान किया गया है तथा प्रार्थीगण अपने सुखाधिकार एवं भूमि की रक्षा व सीव डोल की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहता है।

6. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 781/0.52 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा भैसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान का दिनांक 17.10.2025 को हुये सीमाज्ञान/सीमांकन के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा करवाकर पत्थरगढी करवावे। एवं पत्थरगढी के आदेश के माध्यम से किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तदानुसार आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(डॉ. साधना शर्मा, RAS)  
उप खण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)